प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, एवं

माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीशगण

प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक 57/2008

अपीलार्थी परमेंद्र मल्होत्रा

बनाम

प्रत्यर्थी ज्योति मल्होत्रा

विचारार्थ निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

जी. मिन्हाजुद्दीन

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आई. एम. कुद्दुसी

मै सहमत हूं।

सही/-

आई. एम. कुद्दुसी

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 18.01.2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय डॉ. आई.एम. कुद्दुसी, एवं

माननीय श्री जी. मिन्हाजुद्दीन, न्यायाधीशगण

प्रथम अपील (वैवाहिकी) क्रमांक 57/2008

अपीलार्थी **परमेंद्र मल्होत्रा**

बनाम

प्रत्यर्थी **ज्योति मल्होत्रा**

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से श्री जितेंद्र पाली, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री विवेक राठौर, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 18 जनवरी, 2012 को पारित किया गया)

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. मिन्हाजुद्दीन के अनुसार,

1. यह अपील अपीलार्थी/वादी द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के अंतर्गत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 204-क/06 में दिनांक 5.1.2008 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iक) के अंतर्गत विवाह-विच्छेद हेतु अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य यह हैं कि पक्षकारों के मध्य विवाह दिनांक 21 मई, 2004 को बेमेतरा, जिला दुर्ग में हिंदू रीति-रिवाजों एवं परंपराओं के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात् पक्षकार लगभग चार दिनों तक स्टेशन रोड, दुर्ग स्थित प्रत्यर्थी के ससुराल में साथ रहे। इसके पश्चात् अपीलार्थी/वादी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी दिनांक 26 मई, 2004 को दो अन्य दंपतियों के साथ हनीमून हेतु दार्जिलिंग गए तथा 10-12 दिनों के बाद दुर्ग वापस लौट आए। यह भी निर्विवाद है कि जून, 2005 तक अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी ससुराल में साथ-साथ निवास करते रहे और उसके पश्चात् प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अपने मायके बेमेतरा, जिला दुर्ग में रहने लगी। तथापि, शेष तथ्यों के संबंध में विवाद है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

03. संक्षेप में अपीलार्थी/वादी का प्रकरण यह है कि 21 मई, 2004 को विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् प्रत्यर्थी/प्रतिवादी 25 मई, 2004 तक उसके साथ उसके ससुराल में रही और 26 मई, 2004 को वे दो अन्य दम्पत्तियों के साथ हनीमून के लिए दार्जिलिंग गए। अपीलार्थी ने यह अनुभव किया कि विवाह के बाद तथा हनीमून पर जाने से पूर्व ही नहीं, बल्कि दार्जिलिंग एवं कलकत्ता में प्रवास के दौरान भी प्रत्यर्थी का उसके प्रति व्यवहार उदासीन रहा। जब-जब अपीलार्थी उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करता, तब-तब वह किसी न किसी बहाने से शारीरिक संबंध बनाने से इंकार कर देती थी। दार्जिलिंग से लौटते समय जब अपीलार्थी, प्रत्यर्थी तथा उनके साथ गए दो अन्य दम्पति 2-3 दिनों के लिए कलकत्ता में ठहरे, उस दौरान प्रत्यर्थी अपीलार्थी को बिना बताए हनीमून यात्रा में साथ आए उसके मित्रों के साथ बाहर चली जाया करती थी। लगभग 10-11 दिनों के बाद अपीलार्थी और प्रत्यर्थी दुर्ग वापस लौटे और इसके पश्चात् प्रत्यर्थी लगभग 15 दिनों तक अपीलार्थी के साथ रही, उसके बाद उसके माता-पिता उसे उसके मायके ले गए। इस अवधि में भी प्रत्यर्थी/पत्नी का

अपीलार्थी/पति के प्रति व्यवहार उदासीन रहा और वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से इंकार करती रही। इसी अवधि में अपीलार्थी को अपने परिवारजनों से यह जानकारी मिली कि प्रत्यर्थी/पत्नी मणिकचंद गुटखा की लत की शिकार है। इस पर अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों ने उसे गुटखा सेवन न करने के लिए कहा, जिस पर वह यह कहते हुए उनसे विवाद करने लगती थी कि उसे इसकी लत लग चुकी है, इसलिए अब इसे छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। इसी दौरान अपीलार्थी को यह भी ज्ञात हुआ कि वह लगातार टेलीफोन पर बात करने की आदी है और पूछने पर वह कहती थी कि वह अपने मायके में रहने वाले परिवारजनों से बात कर रही है। जब प्रत्यर्थी से लंबी टेलीफोन बातचीत न करने के लिए कहा जाता, तो वह अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों से विवाद करने लगती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. जून, 2004 के अंतिम सप्ताह में, समाज में प्रचलित परंपरा के अनुसार, प्रत्यर्थी के मायके पक्ष के लोग आए और उसे अपने साथ मायके ले गए। इसके पश्चात् अपीलार्थी जुलाई, 2004 के प्रथम सप्ताह में उसके मायके गया और उसे वापस उसके ससुराल ले आया। जुलाई, 2004 के प्रथम सप्ताह में वापसी के बाद भी प्रत्यर्थी का अपीलार्थी तथा उसके परिवारजनों के प्रति रवैया और व्यवहार पूर्ववत् बना रहा, क्योंकि न तो उसने गुटखा सेवन बंद किया और न ही उसने लंबे समय तक टेलीफोन पर बात करना छोड़ा। प्रत्यर्थी द्वारा लगातार लंबे समय तक टेलीफोन पर बात किए जाने से अपीलार्थी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात् समानांतर (पैरेलल) कनेक्शन लगवाकर जब उसने प्रत्यर्थी/पत्नी की टेलीफोन पर बातचीत सुनी, तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह अपने मायके पक्ष से नहीं, बल्कि अपनी बड़ी बहन के देवर संजय से अश्लील तरीके से बातचीत कर रही थी। इसके बाद जब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी/पत्नी से संजय के बारे में पूछताछ की, तो उसने उत्तर दिया कि वह अपीलार्थी से विवाह करना नहीं चाहती थी, किंतु मजबूरी में उसने उससे विवाह किया है और उसके साथ रह रही है। इसके पश्चात्

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद हुआ और उसके बाद प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से काफी लंबे समय तक बातचीत करना बंद कर दिया।

05. प्रत्यर्थी जुलाई, 2004 से फरवरी, 2005 तक स्टेशन रोड, दुर्ग स्थित अपीलार्थी के निवास पर उसके साथ रही। इसके बाद घर में टकराव से बचने के उद्देश्य से फरवरी, 2005 में अपीलार्थी ने दीपक नगर, दुर्ग में एक किराए का मकान लिया और अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने लगा। दीपक नगर, दुर्ग में अलग रहना प्रारंभ करने के बाद भी प्रत्यर्थी/पत्नी का अपीलार्थी/पति के प्रति रवैया और व्यवहार नहीं बदला और उसकी अनुपस्थिति में वह घर में ताला लगाकर बेमेतरा स्थित अपने मायके पक्ष से तथा रायपुर में संजय से बातचीत करने के लिए एस.टी.डी./पी.सी.ओ. जाया करती थी। दीपक नगर, दुर्ग में अलग रहने की अवधि के दौरान भी वह बार-बार यह कहती रही कि वह अपीलार्थी के साथ नहीं रहना चाहती और वह या तो उसे विवाह-विच्छेद कर ले अथवा उसे रायपुर में उसकी बड़ी बहन के घर छोड़ दे। तथापि किसी न किसी प्रकार प्रत्यर्थी फरवरी, 2005 से जून, 2005 तक अपीलार्थी के साथ दीपक नगर, दुर्ग में अलग रहकर रही और उसके बाद यह बहाना बनाकर कि उसकी माँ के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, वह अपने मायके बेमेतरा चली गई। अपीलार्थी ने उसे पुनः उसके ससुराल लाने के लिए भरसक प्रयास किए, किंतु उसने उसके साथ वापस आने से इनकार कर दिया और इस प्रकार वह जून, 2005 से अपने मायके बेमेतरा में रह रही है तथा बिना किसी युक्तिसंगत एवं पर्याप्त कारण के अपीलार्थी/पति का साथ छोड़ दिया है, जिससे उसने उसका परित्याग किया है तथा उसके साथ क्रूरता का व्यवहार भी किया है। इन्हीं आधारों पर अपीलार्थी/पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iक) के अंतर्गत विवाह-विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

06. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी/पति द्वारा विवाह-विच्छेद की अर्जी में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। उसने कहा है कि अपीलार्थी/पति मदिरा का आदी है और हनीमून यात्रा के दौरान दार्जिलिंग एवं कलकत्ता में प्रवास के समय वह उसे मदिरा पीने के लिए दबाव डालता था तथा उसके इंकार करने पर उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता था। उसने इस बात से इंकार किया है कि वह गुटखा खाती थी या अपनी बड़ी बहन के देवर संजय से टेलीफोन पर बातचीत करती थी। प्रत्यर्थी ने अपने लिखित कथन में यह भी कहा है कि विवाह के तुरंत बाद ही दहेज की मांग को लेकर उसे ताने दिए गए और प्रताड़ित किया गया। उसने कभी भी अपीलार्थी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इंकार नहीं किया। उसने विशेष रूप से कहा है कि अपीलार्थी/पति, उसकी माँ तथा उसकी बहनें प्रत्यर्थी को बुरी तरह प्रताड़ित करती थीं और कभी-कभी उसके साथ मारपीट भी करती थीं। एक बार तो उन्होंने उसे घसीटकर रसोई में ले जाकर गैस सिलेंडर की सहायता से जलाने का प्रयास भी किया। तथापि, वह अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए यह सब सहन करती रही, इस आशा के साथ कि समय के साथ उनके संबंध सामान्य हो जाएंगे। उसे अपर्याप्त दहेज लाने तथा घटिया गुणवत्ता के सामान लाने के कारण प्रताड़ित और उत्पीड़ित किया गया तथा उससे यह मांग की गई कि वह अपने मायके से 50,000/- रुपये लेकर आए, अन्यथा उसे उसके ससुराल से निकाल दिया जाएगा। जब उसने उक्त अवैध मांग के बारे में अपने भाई जोगेन्द्र को बताया, तो किसी प्रकार उसने 30,000/- रुपये की व्यवस्था कर उसे उसके ससुराल वालों को दे दिया। तथापि, उसके पति (अपीलार्थी) एवं ससुराल पक्ष इस राशि से संतुष्ट नहीं हुए और शेष 20,000/- रुपये और लाने के लिए उसे प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित करने लगे। अतः अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों द्वारा किए गए क्रूर व्यवहार से तंग आकर अंततः दिनांक 10.07.2006 को उसने थाना–बेमेतरा में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई और जब

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पुलिस द्वारा उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तब उसने अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के समक्ष एक परिवाद प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी अब भी अपीलार्थी के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए तैयार और इच्छुक है तथा वह विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं है, इसलिए उसने अपीलार्थी/पति द्वारा प्रस्तुत विवाह-विच्छेद की अर्जी को खारिज किए जाने की प्रार्थना की है।

07. विद्वत कुटुम्ब न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत, आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(iक) के अंतर्गत अपीलार्थी/पति द्वारा प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलार्थी/पति यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि प्रत्यर्थी/पत्नी ने उसके साथ मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता का व्यवहार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का भी परिशीलन किया गया।

09. विवाह-विच्छेद की अर्जी में किए गए अभिकथनों को सिद्ध करने के लिए अपीलार्थी/पति ने स्वयं को अ.सा.-1 के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने मित्र मुकेश कुमार, राजू साहू तथा संदीप कडपे को क्रमशः अ.सा.-2, अ.सा.-3 एवं अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/पत्नी ने स्वयं को ब.सा.-1 के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अपने बड़े भाई जोगेन्द्र छबड़ा तथा अपने भाई के मित्र गोलू माणिकपुरी को क्रमशः ब.सा.-2 एवं ब.सा.-3 के रूप में परीक्षित कराया है।

10. जहाँ तक प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा अपीलार्थी/पति के प्रति मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता कारित किए जाने के आरोप का प्रश्न है, अपीलार्थी/वादी प्रमेन्द्र मल्होत्रा (अ.सा.-1) के कथनानुसार,

प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने ससुराल में रहने के दौरान तथा दार्जिलिंग एवं कलकत्ता की हनीमून यात्रा के समय भी किसी न किसी बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से इंकार किया। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि वह मणिकचंद गुटखा की आदी थी तथा काफी लंबे समय तक टेलीफोन पर बातचीत करती रहती थी और जब उसे ऐसा न करने के लिए कहा जाता, तो वह अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों से विवाद करने लगती थी। उसने आगे कहा है कि वास्तव में वह बेमेतरा स्थित अपने मायके पक्ष से बातचीत करने के बहाने रायपुर में अपनी बड़ी बहन के देवर संजय से अश्लील तरीके से बातचीत किया करती थी, जिसे अपीलार्थी ने पैरेलल कनेक्शन के माध्यम से सुना। जब उससे संजय के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछा गया, तो उसने उत्तर दिया कि वह अपीलार्थी से विवाह करना नहीं चाहती थी, बल्कि मजबूरी में उसने उससे विवाह किया है और उसके साथ रह रही है। अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि परिवार में रोजमर्रा के टकराव से बचने के उद्देश्य से जब वह अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) के साथ दीपक नगर, दुर्ग स्थित किराए के मकान में रहने लगा, तब भी उसका रवैया और व्यवहार उसके प्रति पूर्ववत् बना रहा। वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक नहीं थी तथा उसकी अनुपस्थिति में एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के माध्यम से संजय से बातचीत करती थी। अपने इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपीलार्थी/पति ने अपने मित्र मुकेश कुमार, राजू साहू एवं संदीप कडपे को क्रमशः अ.सा.-2, अ.सा.-3 एवं अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. जहाँ तक प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा मणिकचंद गुटखा सेवन किए जाने का प्रश्न है, मुकेश कुमार (अ.सा.-2), जो अपनी पत्नी सहित अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के साथ दार्जिलिंग एवं कलकत्ता की हनीमून यात्रा पर गया था, ने अपने कथन में कहा है कि दार्जिलिंग एवं कलकत्ता में उनके प्रवास के दौरान उसने प्रत्यर्थी/पत्नी को गुटखा खाते हुए नहीं देखा। यह स्वीकार्य तथ्य है कि

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी दो अन्य दम्पत्तियों, अर्थात् मुकेश कुमार एवं उसकी पत्नी तथा प्रणयराम टेके एवं उसकी पत्नी के साथ दार्जिलिंग एवं कलकत्ता गए थे और 10-11 दिनों के पश्चात् दुर्ग लौटे थे। अपीलार्थी/पति द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) राजू साहू (अ.सा.-3) की दुकान से गुटखा लाया करती थी। तथापि, इस साक्षी राजू साहू ने अपने कथन के कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रत्यर्थी/पत्नी को कभी गुटखा खाते हुए नहीं देखा।

12. अपीलार्थी/पति द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) रायपुर में संजय से एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के माध्यम से बातचीत करती थी और इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने संदीप कडपे को अ.सा.-4 के रूप में परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने अपने कथन के कंडिका -2 में यह स्वीकार किया है कि एस.टी.डी./पी.सी.ओ. का मालिक आनंद गोयल था, जिसने उक्त एस.टी.डी./पी.सी.ओ. को पिछले पाँच वर्षों से बंद कर दिया था और चांपा चला गया था। इस साक्षी का कथन दिनांक 18.04.2007 को दर्ज किया गया था, अतः उसके कथनानुसार आनंद गोयल का एस.टी.डी./पी.सी.ओ. वर्ष 2002 के आसपास ही बंद हो चुका था, जबकि पक्षकारों के बीच विवाह 21 मई, 2004 को संपन्न हुआ था। यद्यपि इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि आनंद गोयल के चांपा चले जाने के बाद उसका भाई अनिल उक्त एस.टी.डी. चला रहा था, तथापि एस.टी.डी./पी.सी.ओ. का कोई विवरण अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अपीलार्थी/पति के इस आरोप को सिद्ध किया जा सके कि प्रत्यर्थी/पत्नी उसी एस.टी.डी./पी.सी.ओ. से अपनी बड़ी बहन के देवर संजय से बातचीत करती थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. अतः राजू साहू (अ.सा.-3) एवं संदीप कडपे (अ.सा.-4) के कथनों तथा एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी/पति के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान निकाला जाना उचित है कि यदि उक्त एस.टी.डी./पी.सी.ओ. का विवरण प्रस्तुत किया गया होता, तो वह अपीलार्थी/पति के मामले का समर्थन नहीं करता। अपीलार्थी/पति ने यह भी कहा है कि पैरेलल कनेक्शन के माध्यम से उसने अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) और संजय के बीच हुई अश्लील बातचीत सुनी थी तथा जब इस संबंध में प्रत्यर्थी से पूछा गया, तो उसने उत्तर दिया कि वह उससे विवाह करना नहीं चाहती थी, वह मजबूरी में उसके साथ रह रही है और इसलिए वह या तो उससे विवाह-विच्छेद कर ले अथवा उसे रायपुर में उसकी बड़ी बहन के घर छोड़ दे। तथापि, इन सब बातों के बावजूद अपीलार्थी/पति उसके साथ रहना जारी रखे रहा। यदि अपीलार्थी/पति को अपनी पत्नी (प्रत्यर्थी) द्वारा संजय के साथ की जा रही अश्लील बातचीत पर संदेह था और उसने पैरेलल टेलीफोन कनेक्शन के माध्यम से ऐसी बातचीत सुनी थी, तो वह टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उस अश्लील बातचीत को रिकॉर्ड करा सकता था, जो प्रत्यर्थी/पत्नी के कथित अनैतिक आचरण के संबंध में उसके विरुद्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता था। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी/पति उस टेलीफोन के कॉल विवरण भी प्राप्त कर सकता था, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी/पत्नी रायपुर में संजय से बातचीत करती थी। किंतु मौखिक कथन करने के अतिरिक्त अपीलार्थी/पति द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रत्यर्थी/पत्नी के विरुद्ध व्यभिचार के आरोप को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य न होने की स्थिति में, अपीलार्थी/पति द्वारा प्रत्यर्थी/पत्नी के कथित अनैतिक आचरण का आरोप स्वयं में ही प्रत्यर्थी/पत्नी के प्रति क्रूरता का द्योतक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी/पति ने अपने कथन में स्वयं स्वीकार किया है कि हनीमून यात्रा के दौरान जब प्रत्यर्थी उसके मित्रों के साथ बाहर जाती थी, उस समय उसके मित्र की पत्नी भी उनके साथ होती थी और उसने इस संबंध में कभी न तो अपने मित्रों से और न ही उनकी पत्नियों से कोई शिकायत की। उसने अपने कथन के कंडिका-12 में यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी (प्रत्यर्थी) दिन-रात घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थी और वह केवल दो अवसरों पर ही उसके साथ बाहर गई थी। घरेलू उपयोग की कुछ वस्तुएँ लेने आदि के अतिरिक्त वह घर से बाहर नहीं जाती थी।

15. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने लिखित कथन में विशेष रूप से कहा है कि दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया, उसके साथ क्रूरता की गई तथा मारपीट भी की गई और एक बार तो अपीलार्थी, उसकी माँ तथा उसकी बहनों ने रसोई में उसे जलाने का प्रयास भी किया। उसने आगे कहा है कि उसके भाई जोगेन्द्र ने उसके ससुराल वालों को 30,000/- रुपये दिए थे, किंतु इसके बावजूद भी अपीलार्थी एवं उसके परिवारजन उससे शेष 20,000/- रुपये और लाने के लिए प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित करते रहे। जब वह बेमेतरा स्थित अपने मायके में रह रही थी, तब भी अपीलार्थी एवं उसके परिवारजन टेलीफोन पर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे और उसे प्रताड़ित करते थे तथा जब प्रत्यर्थी एवं उसका भाई उनसे टेलीफोन पर बात करने का प्रयास करते थे, तो वे फोन नहीं उठाते थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. तथापि, अपीलार्थी/पति ने प्रत्यर्थी/पत्नी द्वारा दहेज की मांग के संबंध में किए गए उपर्युक्त कथनों का न तो वादपत्र में संशोधन करके और न ही जवाबदावा दाखिल करके कोई विशिष्ट उत्तर दिया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे किसी बिंदु पर, जिसके संबंध में वादपत्र अथवा लिखित कथन में कोई अभिकथन नहीं है, किसी भी प्रकार के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः वर्तमान प्रकरण में

अपीलार्थी/पति प्रत्यर्थी/पत्नी के इस कथन का प्रभावी ढंग से खंडन करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी एवं उसके परिवारजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित एवं उत्पीड़ित किया गया था।

17. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की सूक्ष्म एवं सावधानीपूर्वक जांच करने के उपरांत, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अपीलार्थी/पति यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि विवाह संपन्न होने के पश्चात् प्रत्यर्थी/पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से इंकार करके अथवा अपने कथित अनैतिक आचरण द्वारा उसके प्रति क्रूरता का व्यवहार किया है। माननीय कुटुम्ब न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ik) के अंतर्गत अपीलार्थी/पति की अर्जी को उचित रूप से खारिज किया गया है और उसमें किसी प्रकार की अवैधता अथवा त्रुटि नहीं पाई जाती, जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को आवश्यक बनाती हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. परिणामस्वरूप, अपील असफल होती है और इसे एतदद्वारा खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

19. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देशित किया जाता है कि वह तदनुसार डिक्री तैयार करें।

सही/-
आई.एम. कुद्दुसी
न्यायाधीश

सही/-
जी. मिन्हाजुद्दीन
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं

व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur